

सुप्रीम कोर्ट / 4/37 56/12

दिनांक	आज्ञा पत्र	क्रमांक
27.2.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 11.5.23 को पेश हो	
11.5.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंट स्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 5.6.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27.6.23 को पेश हो।	
27.6.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंट स्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 6.11.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.11.23 को पेश हो।	
6.11.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंट स्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 6.2.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.2.24 को पेश हो।	
6/2/24	पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रजिस्टर्ड के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनना पया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्काल तामील दाखिल टफ्तर हो।	
6/2/24	पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रजिस्टर्ड के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया पया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्काल तामील दाखिल टफ्तर हो।	



प्रबन्ध अधिकारी एवं
घटने राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)